-:प्रेस नोटः-

दिनांक- 05.08.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा क्षेत्र के बल्लान में दिनांक 30.07.2024 को तालाब में बरामद हुए महिला के शव की घटना का थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया सफल अनावरण।**
- **मृतका के पुत्री ने ही प्रेम-प्रसंग का पता चलने पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिनांक 29/30.07.2024 की रात्रि को घर के बाड़े में सोते समय महिला की गला दबाकर की थी हत्या तथा पुलिस को भ्रमित करने के उदेश्य से शव को गांव से बाहर तालाब में दिया था फेंक।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र व क्षेत्राधिकारी अतर्रा/नगर श्री गवेन्द्र पाल गौतम के निकट पर्यवेक्षण में थाना अतर्रा क्षेत्र में दिनांक 30.07.2024 को तालाब में बरामद महिला के शव की घटना का थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए महिला की गला दबाकर हत्या करने वाली उसकी पुत्री व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गौरतलब हो कि दिनांक 30.07.2024 को थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम चक्की पुरवा अंश बल्लान में एक महिला का शव तालाब में बरामद हुआ था जिसकी पहचान ग्राम बल्लान की रजुलिया उर्फ रजनिया पत्नी फूलचन्द्र के रुप में हुई थी। इस सम्बन्ध में मृतका के पति फूलचन्द्र की तहरीर पर थाना अतर्रा पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। जांच के क्रम में संदिग्धों व अन्य से पूछताछ के क्रम में पता चला कि मृतिका रजुलिया को अपनी पुत्री नीतू वर्मा के गांव के ही एक युवक अतुल आरख के साथ प्रेम-प्रसंग का पता चल गया था जिस पर रजुलिया द्वारा अपनी पुत्री नीतू को डांटा फटकारा व गाली गलौज की गयी जिस पर क्रुद्ध हो गयी और अपने प्रेमी अतुल व एक अन्य साथी ददुआ के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की योजना बनायी तथा तीनों ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी तथा पुलिस को भ्रमित करने के उदेश्य से शव को गांव के बाहर तालाब में ले जाकर फेंक दिये। पुलिस द्वारा युवती व उसके प्रेमी को थाना अतर्रा क्षेत्र के शान्ति धाम स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अतुल आरख पुत्र शिवकुमार आरख निवासी शिवबालक का पुरवा अंश बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. नीतू वर्मा पुत्री फूलचन्द्र वर्मा निवासी चक्की का पुरवा अंश बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. ददूआ वर्मा पुत्र शिवआधार निवासी चक्की का पुरवा अंश बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 174/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री कुलदीप कुमार तिवारी थानाध्यक्ष अतर्रा
2. श्री अनिल कुमार साहू प्रभारी एसओजी मय टीम
3. उ0नि0 श्री दीपक कुमार सैनी
4. कां0 पंकज आर्या
5. कां0 विजय सिंह
6. म0कां0 ज्योति देवी